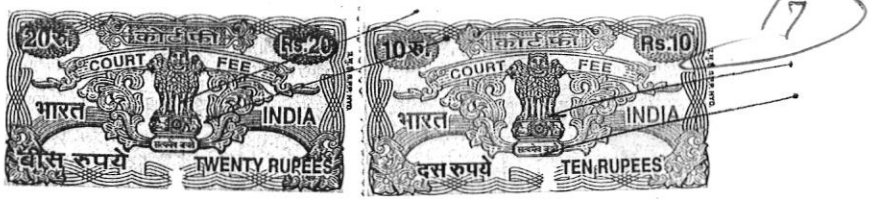

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्र.क. /16

राजेश झारिया आत्मज स्व.भूरे झारिया

निवासी शिल्पीनगर (भेड़ाघाट)

तहसील व जिला जबलपुर ———————————— **आवेदक**

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर जबलपुर ————— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर जबलपुर के रा.प्र.क. 28/अ–6अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12–08–2016 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदक मोहन पिता लालमन झारिया साकिन बिल्हा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जबलपुर को मौजा बिल्हा प.ह.नं.56 स्थित भूमि ख.नं.223/1 रकवा 0.630 हे. भूमिस्वामी हक में दर्ज है जो कि शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई थी । वृद्धावस्था एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उक्त भूमि की बिकय की अनुमति अपर कलेक्टर जबलपुर से रा.प्र.क.295/अ–21/1010–11 आदेश दिनांक 26–11–2011 के अनुसार अनुमति दी गई थी । उक्त भूमि के मौका मुआवना करने पर मौके एवं वास्तविक अनुसार अक्त भूमि अन्य स्थल पर है। जबकि राजस्व नक्शे में भूमि को अलग स्थान पर प्रदर्शित किया गया है इस कारण केतागण उक्त भूमि को राजस्व नक्शे में दुरूस्ती उपरान्त ही कय करने इच्छुक है । अतः उपरोक्त भूमि ख.नं.233 को वर्तमान ओर वास्तविक काबिज स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया था ।

2. यह कि श्रीमान अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी पाटन को प्रेषित किया गया । श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा तहसीलदार शहपुरा से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया । तहसीलदार शहपुरा द्वारा राजस्व निरीक्षक शहपुरा से स्थल जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जॉच प्रतिवेदन आवेदक के पक्ष में लिखकर भेजा गया । जिसमें आवेदक के नाम की भूमि मूल ख.नं.223 रकवा 0.81 हे. को आबादी मद में तथा आबादी मद की भूमि ख.नं.206 रकवा 0.77 हे. में से रकवा 0.70

XXXIX(a)BR(H)-11

मोहन मृत वारिसान– राजेश झारिया विरूद्ध म0प्र0 शासन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 09–एक/17

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, जबलपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 28/अ–6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12–3–16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण नक्शा सुधार से संबंधित है जो आवेदक के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 12–8–16 को आवेदक के पिता की मृत्यु होने व वारिसान द्वारा पैरवी न करने /प्रकरण चलाये जाने में रूचि न रखना मानते हुए अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नक्शा संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर से अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों, अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार, शहपुरा को भेजा गया । तहसीलदार, शहपुरा द्वारा राजस्व निरीक्षक, शहपुरा से स्थल जांच निरीक्षण के आधार पर अपना प्रतिवेदन दिनांक 18–7–14 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक के नाम की भूमि खसरा नं. 223 रकबा 0.81 हैक्टर को आबादी मद में तथा आबादी मद की भूमि खसरा नं.0 206 रकबा 0.77 हैक्टर में से रकबा 0.70 हैक्टर एवं खसरा नं. 205 रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर कुल रकबा 0.81 हैक्टर आवेदक के नाम किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे आवेदक की भूमि का मौका नक्शा एवं कब्जा के अनुसार अभिलेख सुधार हो सकेगा । उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अनुशंसा सहित भेजा गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने आदेश पत्रिका दिनांक 22–9–14 द्वारा प्रकरण पुनः अनुविभागीय अधिकारी को स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया कि क्या प्रकरण में नक्शा दुरस्ती होना है या खसरा रकबा में दुरस्ती होना है ? तथा उक्त संशोधन किस नियम या धारा के तहत होगा और इसकी अधिकारिता किसको है ? इस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रतिवेदन व अभिमत हेतु भेजा गया । तहसीलदार ने पुनः अपना प्रतिवेदन दिनांक 16–12–14 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया जिसमें खसरा एवं नक्शा दोनों में सुधार की बात कही गई । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 16–12–14 से सहमत होते हुए प्रकरण संहिता की धारा 107 के तहत नक्शा सुधार हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए अपर कलेक्टर को प्रेषित किया गया । परंतु अपर कलेक्टर द्वारा पुनः	

XXXIX(a)BR(H)-11

मोहन मृत वारिसान– राजेश झारिया विरूद्ध म0प्र0 शासन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 09–एक/17

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 31–12–14 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा कि वे सर्वप्रथम संहिता की धारा 89 के तहत खसरा व रकबा में उचित संशोधन किया जाकर संशोधित अभिलेखों की प्रति प्रकरण में संलग्न कर यदि आवश्यक हो तो नक्शा में संशोधन हेतु संहिता की धारा 107 के तहत इस न्यायालय को भेजें । प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कार्यवही प्रारंभ की गई । अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका दिनांक 14–7–16 को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपर कलेक्टर के उक्त निर्देशों का पालन न करते हुए आवेदक मोहनलाल झारिया की मृत्यु के आधार पर एवं किसी के द्वारा पैरवी न करने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । प्रकरण में दो–बार जांच हो चुकी है और तहसीलदार ने खसरे एवं नक्शे में त्रुटि बताते हुए उसे दुरस्त किए जाने का प्रतिवेदन प्रेषित किया है । अनुविभागीय अधिकारी को केवल अपर कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार संबंधित राजस्व अधिकारी को अभिलेख दुरस्त करने के निर्देश देना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का जो प्रस्ताव अपर कलेक्टर को भेजा है वह वह पूरी तरह अन्यायिक एवं अवैधानिक है । अपर कलेक्टर द्वारा भी उनके प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण रूचि न लेने के आधार पर नस्तीबद्ध करना अवैधानिक कार्यवाही है । प्रकरण में जो दस्तावेज हैं उनसे स्पष्ट है कि प्रकरण में पूर्ण जांच हो चुकी है अतः स्थल जांच	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के आधार पर खसरा, रकबा एवं नक्शा सुधार किया जाना आवेदक के हित में है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह नियम विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–16 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, शहपुरा भिटौनी द्वारा प्रश्नाधीन खसरा नं. 223/1 के खसरा एवं नक्शे के सुधार के संबंध में रा0प्र0क0 39अ–6–अ/2013–14 में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 16–12–14 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शहपुरा भिटोनी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त प्रतिवेदन के अनुसार खसरा एवं नक्शा संशोधित करें और तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त किये जायें ।

पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर